Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)
****

No. 2008/TG-I/9/P

New Delhi, dated: 26 /12/2008

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 62 OF 2008)

Sub: Updating of Duty Pass waiting against vacant accommodation available in the train.

Please refer to this office letter No. 98/TG-I/9/P dated 29.03.2001(Commercial Circular No. 16 of 2001) circulating therewith detailed policy instructions of Rajdhani/Shatabdi Express trains. As per these instructions, separate Duty Pass quota has been earmarked in all Classes in Rajdhani/Shatabdi Express trains and AC Chair Car class in Jan Shatabdi Express trains for providing accommodation to serving/retired Railway servants. These Railway servants who have been issued waiting list tickets against Duty Pass quota on the authority of privilege/Duty/post retirement complimentary passes, has to approach the emergency quota controlling authority for releasing of berths out of Duty Pass Holders Quota set apart in the train.

2. Instances have come to notice that after preparation of charts, some of the pass holders remain on waiting list while the accommodation is vacant in the train after clearing Waiting List/ RAC passengers of other categories.

3. Some of the Railways have represented that in such situations, the pass holders on waiting list should be considered for providing accommodation against the vacant seats.

4. Accordingly, the matter has been examined and it has been decided that at the time of preparation of charts of Rajdhani/Shatabdi/Jan Shatabdi Express trains, after adjusting RAC/Waitlisted passengers and upgrading the passengers of lower class, if any, if the accommodation is still vacant, the system will automatically update the Duty Pass waiting list and remaining vacant accommodation, if any, will be offered for booking at the current booking counter as is presently being done.

5. CRIS will make necessary modification in the software and advise date of implementation to Zonal Railways as well as this office.

6. Necessary instructions may be issued to all concerned.

(O.P. Chawla)
DirectorTraffic Commercial(G)-II
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2008/टीजी-I/9/पी नई दिल्ली, दिनांक: 26.12.2008

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें,

(2008 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 62)

विषय: गाड़ी में उपलब्ध खाली जगह के विरुद्ध ड्यूटी पास वेटिंग को अपडेट करना।

कृपया इस मंत्रालय के 29.03.2001 के पत्र सं. 98/टीजी-I/9/पी (2001 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 16) का अवलोकन करें, जिसके साथ राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के विस्तृत नीति अनुदेश परिपत्रित किए गए हैं। इन अनुदेशों के अनुसार, सेवारत/सेवानिवृत्त रेल सेवकों को स्थान मुहैया करवाने के लिए राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में सभी श्रेणियों में और जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी में अलग ड्यूटी पास कोटा नर्धारित किया गया है। उन रेल सेवकों जिन्हें सुविधा/ड्यूटी/सेवोत्तर मानार्थ पासों के प्राधिकार पर ड्यूटी पास कोटा के अंतर्गत वेटिंग टिकट जारी की गई हैं, उन्हें गाड़ी में अलग निर्धारित किए गए ड्यूटी पासधारी कोटा में से शायिकाएं रिलीज करने के लिए आपातकालीन नियंत्रण प्राधिकारी से संपर्क करना पड़ता है।

2. ऐसे दृष्टांत ध्यान में आए हैं कि चार्ट तैयार होने के बाद, कुछ पासधारी अन्य कोटियों में वेटिंग लिस्ट/आरएसी यात्रियों के क्लीयरिंग के बाद भी वेटिंग में रह जाते हैं, जबकि गाड़ी में खाली जगह होती हैं।

3. कुछ रेलों ने अभ्यावेदन दिया है कि ऐसी स्थितियों में, वेटिंग लिस्ट वाले पासधारियों को रिक्त सीटों के अंतर्गत स्थान मुहैया करवाने के लिए विचार किया जाए।

4. तदनुसार, मामले की जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के चार्ट की तैयारी के समय, आरएसी/प्रतीक्षारत (वेटलिस्टिड) यात्रियों के समायोजन और निचली श्रेणी के यात्रियों के अपग्रेडिंग, यदि कोई हो, के बाद,यदि जगह फिर भी खाली रहती है तो प्रणाली स्वतः ड्यूटी पास पर वेटिग लिस्ट को अपडेट करेगी और बकाया खाली जगह, यदि कोई हो, को चालू बुकिंग काउंटर पर बुकिंग के लिए दिया जाएगा,जैसा कि इस समय किया जा रहा है।

5. क्रिस, साफ्टवेयर में आवश्यक आशोधन करेंगे तथा क्षेत्रीय रेलों और इस कार्यालय को कार्यान्वयन की तारीख के संबंध में सूचित करेंगे।

6. सर्वसंबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(ओ.पी.चावला)
निदेशक, यात्री विपणन(सा)-II
रेलवे बोर्ड।

TRAFFIC-TG-I